दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
12-11-21	वरिष्ठ अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 10-12-21 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी [illegible]
10.12-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व विपक्ष वादी उपस्थित। वकील वादी व विपक्ष वादी को मौखिक आधार लगाकर सुनी कागजात इत्यादि के मद्देनजर के उपस्थित वादी व विपक्ष वादी का वाद अंतरिम अंतर्वर्ती के फैसले किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार दफ्तर वाद तामील वकील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner